(29)

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला--शिवपुरी

निगरानी 64-III-15

प्रागीलाल पिता श्री रामचरण धोबी निवासी वार्ड नं. 5 राजबाडा मौहल्ला खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.) --- आवेदक

विरूद्ध

मुस. वाइदे पत्नी हरचरण काछी निवासी तालाब मौहल्ला खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र)

--- अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 678/2012–13/ अपील में पारित आदेश दिनांक 29.11.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

12/1/15

1. यहकि, ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2 दिनांक 05.10.2011 के आधार पर ग्राम जालमपुर की पंजी क्रमांक 20 दिनांक 10.09.2011 पर भूमि स्वामी सरजू पत्नी हईलाल के स्थान पर क्रेता प्रागीलाल के हक में भूमि सर्वे क्रमांक 637 रकवा 0.70 है. मे से रकवा 0.02 है. पर नामान्तरण के आदेश दिये गये थे।
2. यहकि, नामान्तरण आदेश की प्रथम अपील अनावेदक वाइदे पत्नी हरचरण के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष अपील प्रकरण 11/2011–12 प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 25.04.2013 इस आधार निराकृत की गयी थी। कि उक्त प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न सनिहित है। अतः स्वत्व का निराकरण सिविल न्यायालय से किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है।
3. यहकि, अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक प्रागीलाल द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को प्रकरण क्रमांक 678/2012--13 प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 29.11.2014 से अस्वीकार की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

R 64-III / 15 जिला शिवपुरी

28-1-16

आवेदक अभि. श्री के.के. द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत अभि. पुनः सुनवाई के आवेदन पर आदेश किया गया। आवेदक अभि. द्वारा प्रमाण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध अभि. पुनःसुनवाई के आवेदन मे अंकित किया गया है। आवेदक अभि. के निवेदन पर प्रमाण Not Press मे इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्र० रा० नि० लो०

उपाध्याय

28/1/16